न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध संख्या 76 / 2022

प्रार्थी	अप्रार्थी
1 धनकी पुत्री भीकाराम जाति देवासी, नि0 चन्दलाई, तह0 सोजत जिला पाली, (राज0)	1 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, (लैण्ड होल्डर) सोजत, तह0—सोजत।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 133, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित।
2. तहसीलदार, सोजत उपस्थित।

—: निर्णय :—

दिनांक 11.07.2022

अधिवक्ता मय प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थी तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सोजत अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम चन्दलाई के वर्तमान खसरा नंबर 910 / 555 रकबा 1.000 है किस्म बा0दो0 प्रार्थीया की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि स्थित है जिस पर प्रार्थीया का कब्जा चला आ रहा है। खसरा नंबर 555 में से उक्त कृषि भूमि प्रार्थीया की आवंटन सुदा है तथा प्रार्थीया के कब्जा काश्त अनुसार उक्त कृषि भूमि आवंटित की गई है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थीया के द्वारा किया जा रहा है वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड नक्शा में तरमीम की गई है लेकिन मौके पर कब्जा अनुसार तरमीम नही हुई है। प्रार्थीया के माफिक मौके पर कब्जा अनुसार पुनः तरमीम करवाना चाहती है। राजस्व नक्शा में गलत तरमीम हो जाने से प्रार्थीया अपने जायज हक अधिकार से वंचित हो रही है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया के माफिक कब्जा अनुसार उक्त तरमीम किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रार्थीया राजस्व नक्शा से पूर्व में हुई गलत तरमीम को दुरूस्त किया जाकर पुनः माफिक मौके पर कब्जा अनुसार तरमीम करवाने हेतु उक्त प्रा0 पत्र पेश किया है। अतः प्रा0 पत्र पेश कर सरहद मौजा चन्दलाई के नक्शा लटटा में खसरा नंबर 910 / 555 रकबा 1.000 है0 का पूर्व में किये गये तरमीम को हटवाया जाकर प्रार्थी के माफिक कब्जा सुदा भूमि का रेवेन्यु रेकर्ड नक्शा लटटा में व आनलाईन नक्शा रेकर्ड में पुनः तरमीम करने की ईशतदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार, सोजत को नोटिस वास्ते जबाब प्रा0 पत्र प्रेषित किया गया। तहसीलदार, सोजत ने जबाब प्रा0 पत्र पेश नहीं किये जाने से जबाब प्रा0 पत्र का अवसर समाप्त किया गया। हस्तगत प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार, सोजत को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार, सोजत द्वारा आदेश की पालना मे पत्र क्रमांक / राजस्व / 2022 / 1806 दिनांक 30.06.2022 रिपोर्ट पेश की। सामिल मिसल है। रिपोर्ट प्रस्तुत कर तहसीलदार, सोजत ने निवेदन किया है कि ग्राम चन्दलाई में खसरा नंबर 910 / 555 रकबा 1.000 है0 भूमि की तरमीम आनलाईन करवाते समय संलग्न नजरी नक्शा ए में दर्शाये अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

हो गई थी। जबकि मौके पर काबिज नजरी नक्शा बी के अनुरूप काबिज है। इस प्रकार तहसीलदार, सोजत द्वारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर नजरी नक्शे में दर्शित मार्क बी अनुसार तरमीम किये जाने को सही बताया हैं।

बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्राथी एवं तहसीलदार, सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थीया की आवंटन सुदा भूमि उसके कब्जे अनुसार किये जाने की ईश्तदुआ की है। जबाब बहस में तहसीलदार, सोजत ने कोई आपति नही होना व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र, तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रमाणित मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस प्रस्ताव में दर्शित दिनांक 30.06.2022 का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत पर भी गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा में वर्तमान राजस्व रेकर्ड में की गई तरमीम को अशुद्ध बताया है तथा इसी मौका फर्द में मार्क 'बी' में दर्शित नजरी नक्शे मे तरमीम किये जाने में सहमति दी है तथा प्रार्थीया मार्क 'बी' में अंकित नजरी नक्शे अनुसार ही मौके पर काबिज होना बताया है। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार किया जाना तथा तहसीलदार, सोजत द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस प्रस्ताव में दर्शित दिनांक 30.06.2022 में पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त किया जाना तथा वर्तमान में दर्शित मार्क 'बी' अनुसार तरमीम दुरूस्ती के आदेश तहसीलदार, सोजत को दिया जाना उचित समझते है।

—:आदेशः—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा चन्दलाई तहसील–सोजत में स्थित खसरा नंबर 910/555 रकबा 1.000 है0 की भूमि पूर्व में की गई नक्शा लटठा में की गई तरमीम को निरस्त किया जाता है तथा नजरी नक्शा में अंकित मार्क 'बी' अनुसार रेकर्ड में तरमीम दुरूस्ती किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। नजरी नक्शा निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। तहसीलदार, सोजत को उक्त निर्णय तथा नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत

निर्णय आज दिनांक 11.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत